खाद्य भोजनालयों के संबंध में राज्य विनियिमन

प्रलिम्सि के लयि:

खाद्य मलिावट, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधकिरण (FSSAI), अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, भारी धातुएँ, आनुवंशकि रूप से संशोधति खाद्य पदार्थ, जैवकि खाद्य पदार्थ।

मेन्स के लयि:

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधकिरण, भारत में खाद्य सुरक्षा को मज़बूत बनाना

स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, **उत्तर प्रदेश** (UP) सरकार ने सभी खाद्य दुकानों पर **संचालकों, मालकिों, प्रबंधकों** और अन्य संबंधति कर्मयिों के **नाम** प्रमुखता से प्रदर्शति करने को अनविार्य कर दयिा है।

- उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने नवीनतम आदेशों के लयि खाद्य पदार्थों में मलिावट **की घटनाओं की रपिोर्टों का हवाला दयिा है** , जैसे कि खाद्य पदार्थों का **मानव अपशषि्ट या अन्य अखाद्य पदार्थों से संदूषति होना।**

खाद्य सुरक्षा और मानक अधनियिम, 2006 (FSSA) के अंतर्गत मौजूदा खाद्य सुरक्षा आवश्यकताएँ क्या हैं?

- **पंजीकरण या लाइसेंस:** FSSA के अंतर्गत, खाद्य व्यवसाय संचालकों को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधकिरण (FSSAI) से पंजीकरण कराना या लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है।
  - पंजीकरण प्रमाणपत्र या लाइसेंस, जसिमें **मालकि की पहचान** और प्रतष्ठिान का स्थान दर्शाया गया हो, परसिर में **प्रमुखता से प्रदर्शति कयिा जाना चाहयि।**
- **बनिा लाइसेंस के दंड:** FSSA की **धारा 63** के तहत, **बनिा लाइसेंस के खाद्य व्यवसाय करने वाले कसिी भी संचालक को छह महीने** तक की **जेल और 5 लाख रुपए** तक का जुर्माना हो सकता है।
  - यह प्रावधान उचति **लाइसेंसगि और सूचना के प्रदर्शन** के महत्त्व पर बल देता है।
- **FSSA वनियिमों का गैर-अनुपालन:** यदि कोई खाद्य व्यवसाय संचालक **FSSA** के प्रावधानों का **उल्लंघन करता है, तो उसे धारा 31** के अंतर्गत **'इम्प्रूवमेंट नोटसि'** प्राप्त हो सकता है।
  - यदि ऑपरेटर, नोटसि के **अनुपालन** में वफिल रहता है, तो उसका **लाइसेंस नलिंबति या रद्द** कयिा जा सकता है।
  - इसके अतरिक्ति, **धारा 58 में ऐसे उल्लंघनों के लयि 2 लाख रुपए** तक के जुर्माने का प्रावधान है, जनिके लयि कोई वशिष्टि दंड नर्धिारति नहीं है।

FSSA के अंतर्गत नयिम बनाने की राज्य सरकारों की शक्तयिाँ क्या हैं?

- **राज्य प्राधकिरण:** FSSA की **धारा 94 राज्य सरकारों को** FSSAI की **पूर्व स्वीकृत** िसे **नयिम** बनाने की अनुमत िप्रदान करती है।
- **अतरिक्ति कार्यों का आवंटन:** राज्य सरकारें FSSA की **धारा 30** के तहत नयिुक्त खाद्य सुरक्षा आयुक्त को **अतरिक्ति कार्य और कर्त्तव्य नर्धिारति कर सकती हैं।**
  - इसमें राज्य के अधकिार क्षेत्र में **खाद्य सुरक्षा** से संबंधति मामलों पर नयिम बनाना शामलि है, जो केंद्र सरकार की नगिरानी के अधीन होगा।
- **राज्यों द्वारा नयिम बनाने की प्रक्रयिा:** FSSA की **धारा 94(3)** के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए कसिी भी नयिम को राज्य वधिानमंडल द्वारा प्रकाशति और अनुमोदति कयिा जाना चाहयि।

ऐसे आदेशों पर सर्वोच्च न्यायालय का क्या रुख है?

- सर्वोच्च न्यायालय ने **हस्तक्षेप करते हुए वर्ष 2024 की कांवड़ यात्रा** के लिये **उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पुलिस** द्वारा जारी किये गए इसी तरह के आदेशों पर रोक लगा दी, जिसमें खाद्य विक्रेताओं को अपनी पहचान प्रदर्शित करना अनिवार्य था।
- हालाँकि न्यायालय ने फैसला सुनाया कि **खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम (FSSA)** एक **"सक्षम प्राधिकारी" को** ऐसे आदेश जारी करने की अनुमति दे सकता है, लेकिन पुलिस इस शक्ति का दुरुपयोग नहीं कर सकती।

राज्य सरकार के ऐसे आदेशों को न्यायालय में चुनौती क्यों दी जाती है?

- **अनुच्छेद 15 का उल्लंघन:** आलोचकों का तर्क है कि ऐसे आदेश व्यक्तियों को अपनी **धार्मिक और जातिगत पहचान** प्रकट करने के लिये मज़बूर करते हैं तथा **धर्म एवं जाति** के आधार पर व्यक्तियों के साथ भेदभाव करते हैं, जो संविधान के **अनुच्छेद 15(1)** का उल्लंघन है।
  - **अनुच्छेद 15(1)** में कहा गया है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल **धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के** आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।"
- **अनुच्छेद 17 का उल्लंघन:** यह अप्रत्यक्ष रूप से असपृश्यता की प्रथा का समर्थन कर सकता है, जिसे संविधान के **अनुच्छेद 17** के तहत समाप्त और निषिद्ध किया गया था।
- **अनुच्छेद 19 का उल्लंघन: आलोचकों का तर्क है कि यह आदेश विशिष्ट समुदाय के** पूर्ण आर्थिक बहिष्कार के लिये स्थितियाँ उत्पन्न करता है और **अनुच्छेद 19(1)(g)** के तहत किसी भी प्रकार का व्यवसाय करने का अधिकार का उल्लंघन करता है।

//

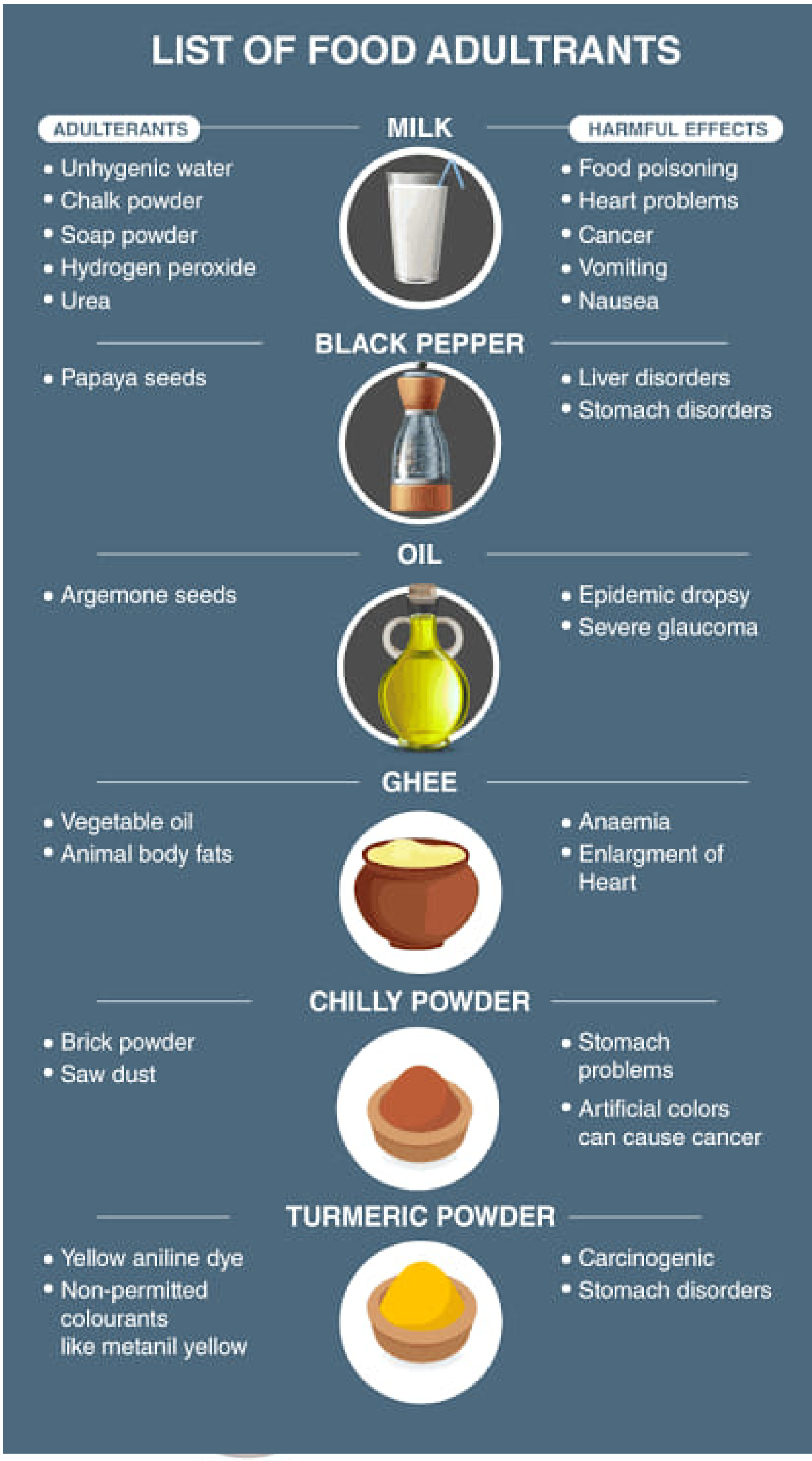

The Vision

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत खाद्य मिलावट को रोकने के लिये सामान्य प्रावधान क्या हैं?

- **खाद्य योज्यों का उपयोग-** किसी खाद्य पदार्थ में कोई **खाद्य योज्यक या प्रसंस्करण सहाय्य तब तक अंतर्विष्ट नहीं होगा,** जब तक कि वह इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए विनियमों के उपबंधों के अनुसार न हो।
- **विषैले पदार्थ और भारी धातुएँ-** किसी खाद्य पदार्थ में ऐसी मात्रा से (जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए) अधिक मात्रा में संदूषक,**प्राकृतिक रूप से व्युत्पन्न होने वाले विषैले पदार्थ, टाक्सिन्स या [हारमोन](#) या [भारी धातु](#)** नहीं होगी।
- **कीटनाशक, पशु चिकित्सीय औषधि अवशिष्ट-** किसी खाद्य पदार्थ में उतनी सहाय्य सीमा से (जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए) अधिक **कीटनाशक, पशु चिकित्सीय औषध अवशिष्ट, प्रतिजैविक अवशिष्ट, विलय अवशिष्ट, भेषजीय रूप से सक्रिय पदार्थ और**

सूक्ष्मजीव काउंट अतंर्वष्टि नहीं होंगे।
    - [कीटनाशी अधनियिम, 1968]() के अधीन **रजसि्ट्रीकृत और अनुमोदति धूमकों को छोड़कर कसिी कीटनाशी का प्रयोग** कसिी खाद्य पदार्थ पर प्रत्यक्ष रूप से नहीं कयिा जाएगा।
- **आनुवंशकि रूप से संशोधति खाद्य पदार्थ** -इस अधनियिम और उसके अधीन बनाए गए वनियिमों में जैसा उपंबधति है उसके सवािय, कोई व्यक्तिकोई आदर्श खाद्य, **[आनुवंशकि रूप से संशोधति खाद्य पदार्थ]()**, वकिरिणति खाद्य, **जैवकि खाद्य**, वशिष आहार उपयोगों के खाद्य, फलीय कृतकारी खाद्य, पोषणीय, स्वास्थ्यपूरक तत्त्व, नजिस्वमूलक खाद्य और इसी प्रकार के अन्य खाद्य पदार्थों का वनिरि्माण, वतिरण, वक्रिय या आयात नहीं करेगा।
- **पैकेजगि और लेबलगि:** खाद्य उत्पादों की नरि्दष्टि वनियिमों के अनुसार पैकेजगि और लेबलगि की जानी चाहयि।
    - परंतु लेबलों पर ऐसा कोई कथन, दावा, डज़िाइन या युक्तिअंतर्वष्टि नहीं होगी जो पैकेज में**अंतर्वष्टि खाद्य उत्पाद के संबंध में कसिी वशिष्टिमें मथि्या या भ्रामक** हो।
- **अनुचति व्यापार व्यवहार-** कसिी ऐसे खाद्य का कोई ऐसा वज्ञिापन नहीं दयिा जाएगा जो भ्रामक या प्रवंचनापूरण हो या इस अधनियिम और उसके अधीन बनाए गए नयिमों और वनियिमों के उपबंधों का उल्लंघन करने वाला हो।

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधकिरण क्या है?

- **परचिय:** FSSAI **खाद्य सुरक्षा और मानक अधनियिम, 2006 के तहत स्थापति एक स्वायत्त वैधानकि नकिाय** है।
    - वर्ष 2006 के अधनियिम में खाद्य पदार्थों से संबंधति वभिनि्न कानून शामलि हैं, जैसे क**िखाद्य अपमश्रिण नवािरण अधनियिम, 1954, फल उत्पाद आदेश, 1955, मांस खाद्य उत्पाद आदेश, 1973** आदि।
- **FSSAI के कार्य: FSSAI स्वास्थ्य एवं परविार कल्याण मंत्रालय** के अधीन कार्य करते हुए भारत में खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता को वनियिमति करके **लोक स्वास्थ्य की** रक्षा और संवर्द्धन के लयि ज़मि्मेदार है।
    - **परणिामस्वरूप, FSSAI की स्थापना वर्ष 2008** में की गई लेकनि खाद्य प्राधकिरण के अंतर्गत इसका कार्य वर्ष**2011 से शुरू हुआ,** जब इसके नयिम और प्रमुख वनियिमन अधसिूचति कयि गए।
- **FSSAI की शक्तियाँ:**
    - खाद्य उत्पादों और योजकों के लयि **वनियिमों तथा मानकों** का नरि्धारण।
    - खाद्य व्यवसायों को **लाइसेंस और रजसि्ट्रीकरण** प्रदान करना।
    - खाद्य सुरक्षा कानूनों और वनियिमों का प्रवर्तन।
    - खाद्य सुरक्षा और **गुणवत्ता की नगिरानी तथा पर्यवेक्षण।**
    - खाद्य सुरक्षा मुद्दों पर **जोखमि मूल्यांकन और वैज्ञानकि अनुसंधान का** संचालन करना।
    - खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता पर **प्रशक्षिण तथा जागरूकता** बढ़ाना।
    - खाद्य सुदृढ़ीकरण और **जैवकि खाद्य पदार्थों को प्रोत्साहन।**
    - खाद्य सुरक्षा मामलों पर अन्य एजेंसयिों और हतिधारकों के साथ समन्वय करना।
- **FSSAI की संरचना:** FSSAI में एक **अध्यक्ष** और **22 सदस्य होते हैं,** जनिमें से **एक तहिाई महलिाएँ होती हैं।**
    - FSSAI के अध्यक्ष **एवं मुख्य कार्यकारी अधकिारी को** केंद्र सरकार द्वारा नयिुक्त कयिा जाता है।
    - इसके अध्यक्ष, भारत सरकार के **सचवि के स्तर के होते हैं।**
- **FSSAI की पहल:**
    - [वशि्व खाद्य सुरक्षा दविस]()
    - [ईट राइट इंडयिा]()
    - [राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक]()
    - [RUCO (प्रयुक्त खाद्य तेल का पुन: उपयोग)]()
    - [खाद्य सुरक्षा मति्र]()
    - [100 फूड स्ट्रीट्स]()

नषि्कर्ष:

खाद्य सुरक्षा और मानक अधनियिम (FSSA) के प्रावधान राज्य सरकारों को **राष्ट्रीय मानकों के अनुपालन को** सुनश्चिति करते हुए खाद्य सुरक्षा को प्रभावी ढंग से वनियिमति करने का अधकिार देते हैं। **खाद्य योजकों, संदूषकों और वज्ञिापन प्रथाओं** पर नयिम नरि्धारति करके, FSSA का उद्देश्य उपभोक्ता स्वास्थ्य की रक्षा करने के साथ खाद्य उद्योग में पारदर्शति को बढ़ावा देना है।

दृष्टमिुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: खाद्य पदार्थों में मलिावट रोकने के लयि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधनियिम (FSSA) के तहत मौजूदा प्रावधानों का परीक्षण कीजयि।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2018)

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 ने खाद्य अपमिश्रण की रोकथाम (प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्टरेशन) अधिनियम, 1954 को प्रतिस्थापित किया।

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (फूड सेफ्टी एण्ड स्टैण्डर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया) (एफ.एस.एस.ए.आई.) केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के प्रभार में है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (a)

?????:

प्रश्न. खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की चुनौतियों का सामना करने के लिये भारत सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों के बारे में विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये। (2021)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/state-regulation-regarding-food-eateries